अमिताभ ओझा
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक
Amitabh Ojha
SR. DY.GENERAL
MANAGER

उत्तर मध्य रेलवे
North Central Railway

उत्तर मध्य रेलवे
सतर्कता विभाग ,सूबेदारगंज,
इलाहबाद & 211033
NORTH CENTRAL RAILWAY
VIGILANCE BRANCH
Subedarganj
ALLAHABAD-211033

गोपनीय

प्रणाली सुधार सं.- 01

सं.- 20170401124/C/V2/N/ALD

दिनांक: 15 .02.2018

प्रमुख वित्त सलाहकार ,
उत्तर मध्य रेलवे ,
इलाहाबाद

विषय : सेवानिवृत्त लाभ के NEFT फेल होने की स्थिति में भुगतान के सम्बन्ध में।

एक शिकायत की सतर्कता जाँच के दौरान यह पाया गया कि इलाहाबाद मंडल के CO7 No.10701646 dated 03/12/2013 के UTR No. SBIN613340826367 में श्री आदेश कुमार को रुपये 54,864/- का भुगतान होना था परन्तु किसी तकनीकी कारण या अन्य त्रुटिवश NEFT फेल्योर होने के कारण उसका भुगतान उस समय नहीं हो पाया। इस पर शिकायतकर्ता ने सतर्कता विभाग उ.म.रे. में भी शिकायत की थी।

उपरोक्त केस में सतर्कता जाँच के दौरान प्रकरण को वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी/ बुक /इला.के नोटिस में लाने के पश्चात् दिनांक 11/12/2017 को पैसा श्री आदेश कुमार, के खाते में पुनः डाला गया जो कि उसको प्राप्त भी हो चुका है। सतर्कता जाँच के दौरान वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी/ बुक/ इला. ने बताया कि जबतक लाभार्थी द्वारा शिकायत नहीं की जाती है ,तब तक उन्हें पता नहीं चलता है, कि किसी का भुगतान NEFT फेल्योर के कारण रुक गया है। वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी/ बुक/ इला. ने आगे यह भी बताया कि NEFT फेल्योर होने के बाद पैसा मुख्यालय के खाते में वापस आ जाता है। इस प्रकार वर्तमान समय में चल रही प्रणाली के कारण शिकायतकर्ता को चार वर्ष बाद उसका पैसा मिल पाया।

अतःवर्तमान सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है कि जब भी NEFT फेल होने के कारण पैसा मुख्यालय के खाते में वापस आये तो उसपर मुख्यालय अपने सम्बंधित यूनिटों से पत्राचार करके उनको सूचित करे ताकि जिस भी यूनिट का पैसा हो वो यूनिट इस पैसे को वापस मंगाकर सम्बंधित व्यक्ति को भुगतान सुनिश्चित करे।

कृपया उचित कार्यवाही करके इस कार्यालय को अवश्य सूचित करें।

अ० ओ०
15.02.2018
(अमिताभ ओझा)
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक
उ.म.रे.